**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 423**

**उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025**

**नशामुक्ति कार्यक्रम**

**423. श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए विशेष रूप से क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) राजस्थान में नशामुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धनराशि का कितना हिस्सा समुचित रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या राजस्थान में नशामुक्ति कार्यक्रमों के लिए निर्धारित बजट का समुचित रूप से वितरण किया जा रहा है और क्या इसमें कोई अनियमितताएं या भ्रष्टाचार हुआ है;

(घ) क्या नशामुक्ति कार्यक्रमों के लाभार्थियों को पुनर्वास प्रक्रिया में कोई पर्याप्त सहायता मिल रही है; और

(ड.) राजस्थान सरकार द्वारा मादक पदार्थों की लत के विरुद्ध कानूनों एवं नीतियों में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और क्या इन नीतियों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री बी.एल.वर्मा)**

**(क):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग केंद्र प्रायोजित योजना ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत की गई गतिविधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ख) से (घ):** विभाग ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान के अनुदान सहायता प्राप्त संगठनों को 9.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने यह

सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

विभाग की निधि गैर-सरकारी संगठनों को जारी की जा रही है जो नशे की लत वाले लोगों के लिए 17 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम के लिए 4 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व प्रयास (सीपीएलआई), 7 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और 7 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) संचालित कर रहे हैं। नशीली दवाओं का सेवन करने वालों को नि:शुल्क भोजन और आवास सहित उपचार, पुनर्वास और परामर्श सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। इस विभाग द्वारा किए गए सकारात्मक निरीक्षण रिपोर्ट के अधीन गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी की जाती है। जब भी इन केंद्रों के कार्यचालन में कमियां पाई जाती हैं, तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

**(ड.):** राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं विनियमन के लिए राजस्थान स्वापक केन्द्र नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियम के नियम 06 के अनुसार राजस्थान राज्य में किसी भी नशा मुक्ति केन्द्र को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि संस्थान द्वारा लाईसेंसिंग प्राधिकारी से लाईसेंस प्राप्त न कर लिया गया हो।

उक्त नियम के अंतर्गत, आज तक 86 गैर-सरकारी संगठनों को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

**अनुबंध**

**"नशामुक्ति कार्यक्रम" पर लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीले पदार्थों के सेवन का समाधान करने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।

ii 'नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों, किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व प्रयास (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)'; और

iii व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

2. एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं:

i. वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 350 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 124 डीडीएसी और 125 एटीएफ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जियो-टैग किया गया है।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, '14446' का संचालन किया जा रहा है, ताकि उनकी हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉलें प्राप्त हुई हैं।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त अभियान (एनएमबीए) चिन्हित किए गए 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था था और अब इसका विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक संपर्क बनाना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर फोकस करते हुए नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

iv. अब तक, एनएमबीए के तहत शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से 14.07 करोड़ से अधिक लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.90 करोड़ से अधिक युवा और 2.93 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। 4.12 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने इस बात का सुनिश्चय किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

v. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता क्रियाकलापों को आयोजित करने के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज़, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

vii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) अभियान के बारे में उपयोगकर्ता/व्यूवर को एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और सूचना प्रदान करती है।

viii. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ ली गई थी और 2 लाख से अधिक संस्थानों के कुल लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा में भाग लिया था।

*******